छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
द्वितीय अपील नं0 103/2009

1. गंगा बाई (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि
महेश कंवर पिता स्व0 भागवत उम्र–75 वर्ष
निवासी ग्राम चंगोरी, तहसील व जिला दुर्ग (छ0ग0)

..... **वादी**

विरूद्ध

1. श्रीमती लीला बाई पति स्व0 धनेश कुंवर उम्र–59 वर्ष
2. बालमुकुंद पिता धनेश कंवर उम्र–29 वर्ष
3. गोविंद सिंह पिता धनेश कंवर उम्र–24 वर्ष
उत्तरवादी क्र0 01 से 03 निवासी ग्राम चंगोरी, पोस्ट थनौद,
तहसील व जिला दुर्ग (छ0ग0) **....प्रतिवादीगण**

4. भागवत पिता नयन सिंह कंवर उम्र–84 वर्ष
निवासी ग्राम चंगोरी पोस्ट थनौद,
तहसील व जिला दुर्ग (छ0ग0)

5. आम जनता

6. छ0ग0 राज्य द्वारा
जिला कलेक्टर, दुर्ग (छ0ग0)

.... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी/वादी के विधिक प्रतिनिधि के लिए –श्री प्रवीण धुरंधर अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र0 01 से 03 के लिए – कोई उपस्थित नहीं।

उत्तरवादी क्र0 04 के लिए – कोई नहीं।

उत्तरवादी क्र0 06 के लिए – डॉ0 वीणा नायर, उपमहाधिवक्ता।

श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के0 अग्रवाल
बोर्ड पर निर्णय

03/11/2020

1. इस मामले की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम सुनवाई के लिए शुरू की गई है।

2. मूल वादी गंगा बाई द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील पर्याप्त तथ्यों को तैयार करके 15.09.2020 को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई :–

विधि का प्रश्नः–

> "क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह मानना न्यायोचित है कि भागवत की सिविल मृत्यु के संबंध में मांगी गई घोषणा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती, जबकि निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(सुविधा के लिए, इसके बाद पक्षकारों को उनकी स्थिति तथा शिकायत में दी गई रैंकिंग के अनुसार विचारण न्यायालय के समक्ष संदर्भित किया जाएगा।)

3. मूल याचिकाकर्ता गंगा बाई ,जो प्रतिवादी क्रं 01 भागवत की पत्नी थी (उनका निधन इस दूसरे अपील की प्रक्रिया के दौरान हुआ) ने 25 अक्टूबर 1999 को एक याचिका दायर की। याचिका में उन्होने दावा किया कि उनके पति भागवत 1976 से अब तक 23 वर्षों से लापता है , और इसलिए प्रतिवादी क्रं 01 की सिविल मृत्यु की घोषणा की जाए। इस संबंध में , प्रतिवादी क्रं 04 से 06 ने अपनी लिखित बयान में याचिका के आरोपों का खंडन किया, यह दावा करते हुए कि प्रतिवादी क्रं 01 भागवत को 2002 में देखा गया था, जिससे याचिका निराधार है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

4. विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार, दिनांक 06.02.2004 के निर्णय और डिक्री ने मुकदमे का निपटारा करते हुए कहा कि चूंकि प्रतिवादी क्र0 01 की कई वर्षों से सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए वादी यह निर्णय लेने का हकदार है कि प्रतिवादी क्र0 01 की मृत्यु मुकदमा शुरू होने की तिथि यानी 25.10. 1999 से सिविल मृत्यु हो गई है। वादी विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर, प्रतिवादी क्र0 4 से 6 ने प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और डिक्री द्वारा अपील को यह कहते हुए अनुमति दी कि वादी विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (जिसे आगे 'छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम, 1963 कहा जाएगा) की धारा 34 में निहित प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा दावा किए गए और दिए गए किसी भी डिक्री के लिए हकदार नहीं है क्योंकि उत्तर देने वाले किसी भी प्रतिवादी वादी के किसी भी कानूनी अधिकार से इंकार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में तैयार और दायर किया गया वाद 1963 के अधिनियम की धारा 34 के तहत पोषणीय नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री पर सवाल उठाते हुए, वादी द्वारा व्य0प्र0सं0 की धारा 100 के तहत यह दूसरी अपील दायर की गई है (इस द्वितीय अपील के लंबित रहने के दौरान, मूल वादी गंगा बाई की मृत्यु हो गई है और वादी के दत्तक पुत्र होने का दावा करने वाले मलेश कुंवर को पक्षकार बनाया गया है), जिसमें कानून का पर्याप्त प्रश्न तैयार किया गया है और जिसे पूर्णता के लिए इस फैसले के शुरुआती पैराग्राफ में निर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री प्रवीण धुरंधर ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें विचारण न्यायालय के फैसले को पलटते हुए याचिका खारिज कर दी गई थी। अधिवक्ता का कहना है कि विशिष्ट राहत अधिनियम , 1963 की धारा 34 न्यायालय को किसी भी प्रकार की घोषणा करने का अधिकार देती है , और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा दी गई घोषणा को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गलत तरीके से पलट दिया। धारा 34 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी कानूनी पात्रता या अधिकार का हकदार है, और दूसरा पक्ष उस अधिकार को नकारता है , तो न्यायालय उस अधिकार की घोषणा कर सकता है इसलिए , प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह मानना बिल्कुल अनुचित हैत है कि वादी दावा किए गए अनुसार घोषणा के आदेश का हकदार नही है, ऐसे में विवादित निर्णय और आदेश को वादी के पक्ष में और प्रतिवादी क्रं 04 से 06 के विरूद्ध विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए डिक्री को अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने यह उल्लेख किया है कि विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया है कि 'विशिष्ट राहत अधिनियम , 1963' की धारा 34 सभी प्रकार की घोषणाओं को मान्यता नही देती है। यह केवल उन्ही घोषणाओं को मान्यता देती है जो वादी के कानूनी पात्रता या संपत्ति के अधिकार से संबंधित हो। इस मामले में ,वादी के अनुसार, उसके पति भागवत/प्रतिवादी क्रं 01 की मृत्यु मुकदमा दायर करने की तिथि की ही हो चुकी है इसलिए किसी ने भी उसके कानूनी चरित्र या संपत्ति के अधिकार से इंकार नही किया है, इसलिए इस तरह के मुकदमे को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उचित रूप से अनुरक्षणीन

नही माना गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय **" जैना ग्लैडिस फ्रीमैन्टल बनाम हर्बर्ट चार्ल्स फ्रीमैन्टल " और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय 'नारायण नायक बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य '** का उल्लेख किया है । इन दोनो मामलों में न्यायालयों ने लंबे समय से लापता व्यक्तियों की कानूनी मृत्यु की घोषण और संबंधित अधिकारों के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय दिये थे। में महत्वपूर्ण निर्णय दिए थे।

7. अपीलकर्ता/वादी के विधिक प्रतिनिधि के विद्वान वकील तथा श्री मनोज परांजपे, विद्वान न्यायमित्र को सुना है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

8. वादी ने केवल यह घोषित करने के लिए एक साधारण वाद दायर किया है कि चूंकि प्रतिवादी क्र0 01 (उसके पति) को पिछले 23 वर्षों से (1976 से) नहीं सुना गया है, इसलिए यह डिक्री प्रदान की जाए कि उनकी पहले से मृत्यु हो चुकी है और अंततः विचारण न्यायालय द्वारा भी उसके पक्ष में डिक्री प्रदान की गई थी, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ऐसी डिक्री को यह कहते हुए उलट दिया कि अधिनियम 1963 की धारा 34 में निहित प्रावधानों के मद्देनजर ऐसी डिक्री प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अधिनियम 1963 की धारा 34 में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

> **"34 स्थिति या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेक :–** कोई भी व्यक्ति जो किसी कानूनी चरित्र या किसी संपत्ति के रूप में किसी अधिकार का हकदार है, ऐसे चरित्र या अधिकार पर उसके हक को अस्वीकार करने वाले या अस्वीकार करने के हितबद्ध किसी व्यक्ति के विरूद्ध बाद संस्थित कर सकता है, और न्यायालय अपने विवेकानुसार उसमें यह घोषणा कर सकता है कि

वह ऐसा हकदार है और वादी को ऐसे वाद में किसी और अनुतोष की मांग करने की आवश्यकता नहीं है।

परन्तु कोई भी न्यायालय ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगा, जहां वादी मात्र हक की घोषणा से अतिरिक्त अनुतोष मांगने में समक्ष होते हुए भी ऐसा करने से चूक जाता है।

स्पष्टीकरण – संपत्ति का ट्रस्टी वह व्यक्ति होता है जो किसी ऐसी व्यक्ति के शीर्षक के प्रतिकूल शीर्षक को अस्वीकार करने में रुचि रखता है जो अस्तित्व में नहीं है और जिसके लिए यदि अस्तित्व में होता, तो वह ट्रस्टी होता।"

10. उपर्युक्त प्रावधान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि केवल वही व्यक्ति घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का उपाय कर सकता है, जो किसी कानूनी चरित्र का हकदार हो, या जिसका किसी संपत्ति पर कोई अधिकार हो। सवाल यह है कि "कानूनी चरित्र" का क्या अर्थ होगा ?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. लाहौर उच्च न्यायालय ने **हाजी अब्दुल करीम वि0 सरिया बेगम नूर मोहम्मद की संरक्षकता में सरिया बेगम नाबालिक** के मामले में विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 34 से निपटते समय, जो विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के समतुल्य है, माना कि धारा 42 में प्रयुक्त शब्द "कानूनी चरित्र" किसी व्यक्ति की स्थिति को शामिल करने पर्याप्त व्यापक है। इसी तरह **शांता शमशेर जंग बहादुर राणा वि0 कामनी ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य** के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 42 (विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 *के समतुल्य*) में प्रयुक्त 'कानूनी चरित्र' कानूनी स्थिति के समतुल्य है, और कानूनी स्थिति एक कानूनी अधिकार है जब इसमें किसी व्यक्ति की विशिष्टता शामिल होती

है जो कार्य की प्रकृति से असंबद्ध किसी भी चीज से उत्पन्न होती है जिसे पीड़ित व्यक्ति घटना के व्यक्ति के विरुद्ध लागू कर सकता है। नागपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 42 (विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के समतुल्य) में प्रयुक्त 'कानून चरित्र' कानूनी स्थिति के समतुल्य है और कानूनी स्थिति एक कानूनी अधिकार है जब इसमें किसी व्यक्ति की विशिष्टता शामिल होती है जो कार्य की प्रकृति से असंबद्ध होती है जिसे पीड़ित व्यक्ति घटना के व्यक्ति के विरुद्ध लागू कर सकता है। नागपुर उच्च न्यायालय ने **दीपचंद कुंदनमल मारवाड़ी और अन्य वि0 माणकचंद मुल्तानमल मारवाड़ी और अन्य** के मामले में भी माना कि किसी व्यक्ति का कानूनी चरित्र उसकी कानूनी स्थिति के समान ही होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस प्रकार वादी ने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के अर्थ के अंतर्गत किसी विधिक स्वरूप का न तो दावा किया है और न ही वह इसके लिए हकदार है।

13. अब प्रश्न यह है कि क्या वादी ने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के अंतर्गत घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के लिए किसी संपत्ति पर अधिकार का दावा किया है ?

14. **सैल्मंड** के अनुसार **(सैल्मंड ऑन ज्यूरिसप्रुडेंस,** 12वां संस्करण, पृष्ठ 217) "अधिकार" का अर्थ है।

> "अधिकारों का संबंध हितों से है और वास्तव में इन्हें अधिकारों के नियमों अर्थात् नैतिक या कानूनी नियमों द्वारा संरक्षित हितों के रूप में परिभाषित किया गया है..."

15. **हॉलैंड** के अनुसार **(द एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिसप्रुडेंस** 13वां संस्करण, पृष्ठ 82), अधिकार "किसी व्यक्ति की दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि समाज की राय या बल से"।

16. **सैल्मंड** (पृष्ठ 218) के अनुसार "कानूनी अधिकार" का अर्थ है,

> "दूसरी ओर, विधिक अधिकार एक ऐसा हित है जिसे विधि के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा संरक्षित किया गया है–ऐसा हित जिसका उल्लंघन उस व्यक्ति के प्रति विधिक अन्याय होगा जिसका वह हित है, तथा जिसका सम्मान करना विधिक कर्तव्य है।"

17. **हॉलैंड** के अनुसार (पृष्ठ 83) :

> "कानून अधिकार एक व्यक्ति में निहित वह क्षमता है जिसके द्वारा वह राज्य की सहमति और सहायता से दूसरों के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इसलिए **सैल्मंड** और **हॉलैंड,** दोनों के अनुसार, प्रत्येक हित या अधिकार जिसे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है और संरिक्षत किया जाता है, अर्थात् राज्य के कानूनों द्वारा, एक कानूनी अधिकार है और प्रत्येक ऐसे कानूनी अधिकार में एक कानूनी कर्तव्य या दायित्व शामिल है।

19. **सैल्मंड** (पृष्ठ 229) के अनुसार, प्रत्येक कानूनी अधिकार की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

1. यह उस व्यक्ति में निहित है जिसे अधिकार का स्वामी, उसका विषय, हकदार व्यक्ति या अंतर्निहित व्यक्ति कहा जा सकता है।

2. यह उस व्यक्ति के विरूद्ध लागू होता है, जिस पर सह–संबंधित कर्तव्य निहित है। उसे बाध्य व्यक्ति, या

कर्तव्य के अधीन व्यक्ति, या घटना के व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है।

3. यह किसी व्यक्ति को हकदार व्यक्ति के पक्ष में कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करता है। यह अधिकार की विषय–वस्तु है।

4. कार्य या चूक किसी चीज से संबंधित है (शब्द के व्यापक अर्थ में) जिसे अधिकार का उद्देश्य या विषय–वस्तु कहा जा सकता है।

5. प्रत्येक कानूनी अधिकार का एक शीर्षक होता है, अर्थात् कुछ तथ्य या घटनाएं, जिनके कारण वह अधिकार उसके स्वामी में निहित हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या वादी यह घोषणा कराने की अधिकारी है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, क्योंकि पिछले 23 वर्षों से उसे सुने नहीं है ?

21. **<u>जेना ग्लैडिस फ्रीमेंटल</u>** (सुप्रा) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उस मुद्दे पर विचार किया है जिसमें विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 42 के तहत भी घोषणा की मांग की गई थी, जो कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के समरूप है, कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 42 के तहत न्यायालय को पत्नी द्वारा यह घोषणा करने के लिए मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं है कि उसके पति के बारे में सात साल से अधिक समय से कोई खबर नहीं है, इसलिए उसे मृत मान लिया जाना चाहिए। यह आगे माना गया

कि धारा 42 में प्रतिवादी के अस्तित्व के अस्तित्व की परिकल्पना की गई है जो वादी द्वारा दावा किए गए कानूनी चरित्र को अस्वीकार करता है या अस्वीकार करने में रुचि रखता है। यह निम्नानुसार देखा गयाः

> "वर्तमान शिकायत द्वारा उठाई गई पहली कठिनाई यह है कि यह एक घोषणा के लिए मुकदमा है और इसे तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत नहीं माना जा सकता जब तक कि यह धारा 42 के दायरे में न आए। यह धारा अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान करती है कि किसी भी कानूनी चरित्र का हकदार कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है जो उसके ऐसे चरित्र के अधिकार को अस्वीकार करता है या अस्वीकार करने में रुचि रखता है, यह घोषणा करने के लिए कि वह ऐसा करने का हकदार है। इस मुकदमे में मांगी गई घोषणा इस तरह की घोषणा नहीं है। वादी किसी भी कानूनी चरित्र का हकदार होने का दावा नहीं करता है और न ही यह कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे चरित्र को अस्वीकार करने में चरित्र को अस्वीकार करने या रुचि रखता है, क्योंकि वादी खुद यह कहता है कि वादी का मानना है कि प्रतिवादी मर चुका है। धारा 42, मेरी राय में, एक प्रतिवादी के अस्तित्व को मानती है जो कानूनी चरित्र को अस्वीकार करता है या अस्वीकार करने में रुचि रखता है। मेरे विचार में, उसके अस्तित्व की संभावना पर्याप्त नहीं है। दूसरे, इंग्लैंड में वैवाहिक कारण अधिनियम, 1937 में किए गए किसी भी वैधानिक प्रावधान के अलावा, मुझे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करना मुश्किल लगता है जिसके बारे में वादी का दावा है कि वह मर चुका है और आगे बढ़ना है, जैसा कि वादी को करना चाहिए। क्योंकि वादी को इसके बाद प्रतिवादी को प्रतिस्थापित सेवा द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसलिए मेरा मत है कि इस प्रकार का मुकदमा समक्ष नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. **<u>जेना ग्लेडिस प्रीमेंटल</u>** (सुप्रा) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुमोदन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा **<u>नारायण नायक</u>** (सुप्रा) के मामले में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 1963 के अधिनियम की धारा 34 के तहत केवल यह घोषणा की जाती है कि वादी किसी विशिष्ट कानूनी चरित्र या संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार का हकदार है और इसे निम्नानुसार माना जाता हैः–

> "8. साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में नियम है कि हिन्दू कानून और हनफी कानून में दिए गए अनुमान के समय को पीछे छोड़ देता है, जो क्रमशः 12 वर्ष और 30 वर्ष है; (पेंडुरी वि0 जलाधी,) 43 एमएलजे 725। यह धारणा का नियम साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 में लागू भाषा के अनुसार यह साबित करने का भार कि ऐसा व्यक्ति जीवित है, उस व्यक्ति पर है जो इसकी पुष्टि करता है, भले ही उस व्यक्ति के बारे में 7 वर्षों तक उन लोगों द्वारा नहीं सुना गया हो जो उसके जीवित होने पर उसके बारे में सुन सकते थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के कारण सिविल मृत्यु या काल्पनिक मृत्यु की धारणा कानून की नजर में शारीरिक मृत्यु के बराबर है। इस प्रस्ताव पर मैं *परीखित बनाम चंपा,* एआईआर 1967 उड़ीसा 70 द्वारा समर्थित हूं। इस प्रकार अनुमान साक्ष्य का एक नियम है। काल्पतिक रूप से ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुमान लगाया जाता है जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा अन्यथा साबित न किया जाए जो इसका विरोध करता है। इसलिए, निकट संबंधियों द्वारा सिविल मृत्यु की घोषणा का आदेश प्राप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जिन्होंने उसके बारे में नहीं सुना है। यदि कोई इस बात पर जोर देता है कि वह मरा नहीं है, तो उसे ही यह साबित करना होगा। चूंकि यह दायित्व उस व्यक्ति पर है जो सकारात्मक रूप से दावा करता है; (*आगा मीर बनाम मीर मुदासिर,* एआईआर 1944 पीसी 100)। इसलिए, यह घोषणा करने के लिए कोई वाद नहीं है कि किसी व्यक्ति के बारे में 07 वर्षों तक न सुना जाना मृत माना जाता है, जब तक कि वादी यह साबित करने का प्रयास न करे कि वह किसी कानूनी चरित्र या किसी संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार का हकदार है। चूंकि घोषणा के लिए वाद केवल विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के दायरे में ही चलाया जा सकता है। धारा 34 हर प्रकार की घोषणा को मंजूरी नहीं देती है। यह केवल इस घोषणा को मंजूरी देती है कि वादी विशिष्ट कानूनी चरित्र या संपत्ति के संबंध में किसी अधिकार का हकदार है; *देवकली बनाम केदारनाथ,* (1912) 39 कैल 704। दूसरे शब्दों में, धारा का अर्थ यह है कि कोई भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यक्ति, जिसका किसी कानूनी चरित्र यानी स्थिति या किसी संपत्ति पर अधिकार है, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ घोषणात्मक कार्यवाही कर सकता है जो वास्तव में उसके ऐसे चरित्र पर शीर्षक या ऐसी किसी संपत्ति पर उसके अधिकार को अस्वीकार करता है या किसी अन्य की ओर से उसके अधिकार को अस्वीकार करने में कोई हित रखता है। इस मामले में जैसा कि पहले देखा गया है, आचरण से प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के पिता को मृत मानकर सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान किया है। इस प्रकार प्रतिवादी मृत्यु से इंकार नहीं कर रहे हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 34 के तहत राहत प्राप्त करने के लिए वादी को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने वादी के चरित्र या शीर्षक को अस्वीकार कर दिया गया है या अस्वीकार करने में रुचि रखता है। वादी को कार्यवाही का कारण बताने के लिए इंकार की सूचना दी जानी चाहिए। इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा किसी भी कानूनी चरित्र या संपत्ति के अधिकार के संबंध में इंकार का ऐसा कोई संचार नहीं किया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी यह विचार किया था कि घोषणा के लिए ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, *फ्रीमैंटल बनाम फ्रीमैंटल,* 52 बॉम एलआर 641 में हालांकि एक अलग संदर्भ में।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इस स्तर पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार प्रदान करता हैः–

> **"108. यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जीवित है, जिसके बारे में सात वर्षों से कोई समाचार नहीं मिला है।** परन्तु जब यह प्रश्न हो कि कोई व्यक्ति जीवित है या मृत, और यह साबित हो जाता है कि यदि वह जीवित होता तो जिन लोगों ने उसके बारे में स्वाभाविक रूप से सुना होता, उन्हें सात वर्षों से कोई समाचार नहीं मिला है, तो यह साबित करने का भार कि वह जीवित है, उस व्यक्ति पर आ जाता है जो इसकी पुष्टि करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 धारा 107 में लागू नियम का अपवाद है। धारा 108, इसकी प्रयोज्यता के अधीन, उस व्यक्ति पर सबूत का भार वापस स्थानांतरित करने का प्रभाव डालती है जो उस व्यक्ति के जीवित होने के तथ्य का दावा करता है। धारा 108 के तहत उठाया गया अनुमान एक सीमित अनुमान है जो केवल उस व्यक्ति की मृत्यु के तथ्य को मानने तक सीमित है जिसके जीवन या मृत्यु का मुद्दा है। हालांकि यह माना जाएगा कि व्यक्ति मर चुका है, लेकिन मृत्यु की तारीख या समय के बारे में कोई अनुमान नहीं है। धारा 108 के संदर्भ में मृत्यु के बारे में अनुमान केवल 07 साल बीत जाने पर ही उत्पन्न होगा और किसी भी तर्क या कारण को लागू करके 06 वर्ष और 364 दिन की समाप्ति पर या उससे कम समय पर उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (**एल.आई.सी. ऑफ इंडिया वि0 अनुराधा** देखें।)

25. उपर्युक्त निर्णयों (सुप्रा) में निर्धारित विधि के सिद्धांत के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि इस मुकदमे में वादी किसी भी कानूनी चरित्र का हकदार होने का दावा नहीं करता है और न ही उसने कहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी कानूनी चरित्र से इंकार कर रहा है या इंकार करने में रुचि रखता है। वादपत्र के अनुसार, प्रतिवादी क्र0 01/उसका पति–भागवत मर चुका है क्योंकि पिछले 23 वर्षों से उसकी सुनवाई नहीं हुई है और **जेना ग्लेडिस फ्रीमैंटल** (सुप्रा) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 1963 के अधिनियम की धारा 34 के अनुसार कानूनी चरित्र को स्वीकार करने वाले या रूचि रखने वाले प्रतिवादी का अस्तित्व आवश्यक है और इसके अभाव में, वादी द्वारा दावा किए गए अनुसार 1963 के अधिनियम की धारा 34 से कोई घोषणा प्रवाहित नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. **जेना ग्लेडिस फ्रीमैंटल** (सुप्रा) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के सिद्धांत और **नारायण नायक** (सुप्रा) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा आगे अनुसरण करते हुए, मेरा मानना है कि प्रथम अलीपीय न्यायालय द्वारा यह माना जाना पूरी तरह से उचित है कि न्यायालय के लिए पत्नी/वादी द्वारा दायर ऐसे मुकदमे पर विचार करना सक्षम नहीं है जिसमें यह दावा किया गया है कि उसके पति की पिछले 23 वर्षों से सुनवाई नहीं हुई है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को खारिज करना पूरी तरह से उचित है, जिसमें कहा गया है कि पत्नी द्वारा दायर मुकदमे में यह घोषणा नहीं की जा सकती कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। मुझे इस द्वितीय अपील में कोई योग्यता नहीं

दिखती है और वादी के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष में कानून का पर्याप्त प्रश्न उत्तर दे रहा है।

27. तदनुसार, दूसरी अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है। हालांकि, यह वादी के विधिक प्रतिनिधि को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। पक्षकारों को अपना खर्च खुद उठाना होगा।

28. तदनुसार अपीलीय डिक्री तैयार की जाएगी।

29. यह न्यायालय श्री मनोज परांजपे तथा अपीलकर्ता/वादी के विधिक प्रतिनिधि विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण धुरंधर, के विद्वान द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग की सराहना करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(संजय0 के0 अग्रवाल)
जज

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**